nt>

Title: Announcement regarding business of the House.

MR. SPEAKER: Before Kunwar Akhilesh Singh speaks, the Minister for Parliamentary Affairs wants to say something.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुमा स्वराज) : सर, बीच में यहां एक प्रश्न उपस्थित हुआ था जब सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा चल रही थी। हम लोगों ने बीएसी में कल रात यह तय किया था कि पोटा के बाद सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चार घंटे तक चर्चा करेंगे। उसके बाद अगले दिन रिप्लाई होगा। कल देर हो गयी थी इसलिए यह कहा गया कि कल इस विाय को न लेकर आज हम सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स ले लें और आज उसको समाप्त करके फिर एटीआर ऑन जेपीसी पर चर्चा कर लें। पीछे एक प्रश्न उपस्थित हुआ जिसमें कहा गया कि हम सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स की चर्चा बीच में रोक कर एटीआर ऑन जेपीसी शुरू कर दें और उसके बाद एफएम रिप्लाई कर दें। मेरा निवेदन है कि सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स सबसे जरूरी ित्तीय कार्य है, इसलिए आज हम सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स की चर्चा समाप्त करें और जवाब के बाद वोटिंग करके उठें। एटीआर ऑन जेपीसी के लिए अंदर बैठकर दूसरा जो भी समय तय करना चाहें वह समय हम तय करें। दोनों को बीच में घालमेल करके मिलाकर चर्चा करने से न तो उस चर्चा के साथ न्याय हो सकेगा और न सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स के साथ न्याय हो सकेगा। इसलिए बेहतर यह होगा कि सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स की चर्चा समाप्त कराकर, रिप्लाई कराकर, वोटिंग करा दें। एटीआर के लिए नेताओं के साथ अंदर बैठकर समय तय कर लें।

श्री पवन कुमार बंसल : कल के लिए क्या है?

श्रीमती सुमा स्वराज : कल के लिए दो कंस्ट्रेन्ट्स हैं। एक यह है कि एटीआर का जवाब भी एफएम को ही देना है। एफएम राज्य सभा के सदस्य हैं और कल कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी राज्य सभा में है और पोटा भी राज्य सभा में है। वोटिंग के लिए बीच में उनकी आवश्यकता पड़ेगी और हो सकता है कि वे इंटरवीन भी उसमें करना चाहें। इसलिए कल का दिन उन्हें इसके लिए सूट नहीं करेगा। बीएसी में सारे विधायी कार्यों के लिए मैंने कल का दिन मांगा था और यह कहा था कि गुरूवार को हम बिल्स लाएंगे। खासतौर पर जो अध्यादेश विधेयक बनना है उनको प्राथमिकता देनी होगी। इसलिए कल हम बिल्स ले रहे हैं। यह हो सकता है कि शुक्र वार को हमने कुछ चर्चाएं रखी हैं। उन चर्चाओं के बदले में एटीआर लिया जाए। यह हम बैठकर तय कर लेंगे। सदन में सारी चीजों पर चर्चा एक साथ नहीं हो पाएगी। जो भी समय आप चाहेंगे वह हमें मंजूर होगा। एटीआर ऑन जेपीसी पर चर्चा सरकार ने स्वीकार की है। इसलिए हमारी ओर से कोई मनाही नहीं है। रात को बैठना चाहे या लेट बैठना चाहें, हमें मंजूर है। हमने तो कल भी सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स की सोचकर भोजन का प्रबंध किया था लेकिन हाउस उठ गया और भोजन भी खराब हुआ। हमें रात तक या लेट बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मेरा निवेदन आप स्वीकार कर लें कि 6 बजे से पहले सारी वोटिंग खत्म करके हाउस उठे। क्योंकि आज राज्य सभा का 200वां सैशन है और उसकी एक सांस्कृतिक संध्या राज्य सभा के सभापति ने आयोजित की है। माननीय एफएम राज्य सभा के नेता सदन भी है। उनको भी वहां पहुंचना है। इसलिए 6 बजे से पहले चर्चा समाप्त कराकर वोटिंग करा लें। नेताओं के साथ बैठकर एटीआर पर जो भी समय तय होगा, उसके लिए हम तैयार हैं।

MR. SPEAKER: So, I presume that the House agrees with this and I go ahead. But let me make it clear that there are ten more Members to speak. I would not be able to give more than five minutes to each speaker. So, all the speakers are requested to conclude within five minutes. This is compulsory to all the speakers because we have to take up voting on this subject today itself as there is a cultural programme organised by Rajya Sabha and we all have to go there.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I feel that both the Government and the Opposition have some common issues and problems. The discussions which were proposed by the Opposition were on three subjects. On one subject, both the Opposition and the Government agreed and regarding the other two, the Opposition proposed and the Government agreed. The first subject is for a discussion regarding the JPC under rule 193, the second subject is about the Telgi Scam and the third one is on unemployment. Three days had been decisively fixed, that is, today, day after tomorrow and Monday, and the rest of the hours are to be given for legislative business.

It happened yesterday that the discussion could not be continued and it has come up today. Now, we can sit in the Chamber and discuss on how we can sacrifice as regards the debates. If I say that discussion on Telgi Scam may be sacrificed, many of us will not agree. If I say that discussion on unemployment may be sacrificed, many of us will not agree. It has already been decided by the Business Advisory Committee.

So, my appeal, through you, to the Government is this. I do appreciate the position that the hon. Finance Minister would be extremely preoccupied tomorrow, as he is Leader of the other House, with voting, intervening in the debates on the Constitutional Amendment and POTA. I do feel strongly that if we take up the discussion under 193 on this subject at 4 o'clock, by 6 o'clock the hon. Finance Minister's personal preoccupation of voting on both these subjects will be over in the Rajya Sabha. Then, he can come here and reply to the debate at 6 o'clock or 7 o'clock. We can seek his convenience at that time. Otherwise, one of the subjects will be completely shelved or sacrificed which may not be possible for other Members to agree because everybody gave the consent in your presence in the BAC. That is why my submission is that the Government can accommodate this. We are accommodating all the legislations. The Government cannot say that we have disrupted any legislation.

श्रीमती सुमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है, सरकार की तरफ से इनकी किसी चर्चा को न एकोमोडेट करने का सवाल ही नहीं है। आपने बीएसी में हम लोगों का रूख देखा और यहां भी मैं यही कह रही हूं। हम देर तक बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है, जैसा कि आप कह रहे हैं, इस चर्चा को छः बजे तक समाप्त कर दें। कल हम लोगों ने कहा कि पोटा दो बजे लेकर चार बजे तक खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। इसमें एक अनिश्चितता बनी रहती है। राज्य सभा में 97वें संविधान संशोधन कितने बजे खत्म होगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि यह 12 बजे लेकर 2 बजे तक खत्म कर देंगे। उसके बाद यहां की तरह लंच करके पोटा पर चर्चा शुरू कर देंगे और पास कर देंगे, लेकिन यहां हम निश्चित समय में पोटा पर चर्चा खत्म नहीं कर पाए। चर्चा काफी लेट चली। इसलिए अनिश्चितता बनी रहेगी कि वहां चर्चा कब समाप्त होगी। एटीआर की चर्चा पर बिना सुनें जवाब देना ठीक नहीं होगा। मैंने आपसे

निवेदन किया है कि हमें कोई मनाही नहीं है, चर्चा सुविधानुसार ली जा सकती है। अभी मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आज सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स पर चर्चा समाप्त करें, वोटिंग समाप्त करें। एटीआर कब लेनी है, कल लेनी है या परसों लेनी है या तेलगी की जगह लेनी है या तेलगी के बाद लेनी है - यह आप तय करें और हम तैयार हैं। सभी चर्चाओं में किसको एडजैस्ट करना है और किस को बाद में लेना है, हम पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार हैं। मेरा कहना यह है कि एप्रोप्रिएशन विधेयक राज्य सभा में विचार के लिए जाना है और एटीआर पर चर्चा तो यहीं पर रहेगी। आज सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स पर चर्चा करके, रिप्लाई करके, वोटिंग करके समाप्त कर दीजिए।

MR. SPEAKER: I think we can sit in the Chamber and decide.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I agree with you. That is why I said let us accommodate this debate tomorrow.

श्रीमती सुमा स्वराजः कर लीजिए। कल भी हम इसको लिस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हिसाब से देख लेंगे कि किसको लेना है और किस को बाद में लेना है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपसे पूरा सहयोग है।

श्रीमती सुमा स्वराजः आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, मैं कहना चाहती हूं कि मेरा आपसे पूरा सहयोग है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपकी गैर-हाजिरी में थर्ड-एम्पायर कुछ नहीं बता सकते हैं, इसलिए गलत ढंग से हम आउट हो जाते हैं।

श्रीमती सुमा स्वराजः महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि छः बजे डिमान्ड्स पास करके, वोटिंग करके ही सदन स्थगित हो।

MR. SPEAKER: Every Member will be allowed to speak for only five minutes.